मुकदमों का विवरण

सत्यन

वी.

केरल राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2363) 11 अगस्त, 2023

[अभय एस**.** ओका और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्देः

(i) क्या केवल आधिकारिक गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि तत्काल तथ्यों में टिकाऊ है?

((ii) क्या चालान में लगभग 3 साल की देरी को निचली अदालत के फैसले की शुद्धता के साथ-साथ विवादित फैसले को भी भौतिक रूप से प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है?

आबकारी अधिनियम **-**धारा **8-**निम्नलिखित के तहत दोषसिद्धिः

आयोजित किया गयाःपी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 (आधिकारिक गवाह) की गवाही की सच्चाई को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई कारण सामने नहीं आ रहा है-तत्काल मामले में, पुलिस गवाहों की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को गलत नहीं ठहराया जा सकता है-अपीलार्थी के अनुसार दो पहलुओं में देरी हुई; एक, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा प्रतिबंधित पदार्थ और दो, अनुसंधान पूरी होने पर-अपीलार्थी को 01.10.2003 पर गिरफ्तार किया गया था और 02.10.2003 एक छुट्टी थी, इसलिए जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को 03.10.2003 पर पेश किया गया था-यह अनियंत्रित स्थिति होने के कारण, जब्त किए गए अरैक को पेश करने में देरी नहीं कहा जा सकता है-जहां तक 3 के बाद एफ. आई. एन. एल. रिपोर्ट जमा करने की बात है।[पैरा 26,27,29 और 30]

सजा/सजा**-**निम्नलिखित में संशोधनः

आयोजित किया गयाःअपीलार्थी को अपने ऑटोरिक्शा में पांच लीटर अरैक ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया**-**निचली अदालत ने अपीलार्थी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई

– उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समापन का समर्थन किया-अवमानना किए हुए 20 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, इस प्रकार अपीलार्थी की सजा को तीन महीने की अवधि, साधारण कारावास में बदल दिया गया है।[पैरा 33]

साक्ष्य-केवल आधिकारिक गवाहों के आधार पर दोषसिद्धिः

आयोजित किया गयाःयदि किसी पुलिस अधिकारी/आधिकारिक गवाह का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और यह उसी आधार पर खड़ा होगा।[पैरा 22]

साक्ष्य-आधिकारिक गवाहों की गवाही-की सटीकताः

आयोजित किया गयाःआधिकारिक गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं की गई थी-शुद्धता या प्रामाणिकता पर केवल "किसी भी अच्छे कारण" पर संदेह किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से तत्काल मामले से गायब है।[पैरा 26]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-**अनुसंधान **-**अनुसंधान की याचिका निष्पक्ष नहीं होनाः

आयोजित किया गयाःपक्षपात या इस तरह के कारक के आधार पर अनुसंधान पर सवाल उठाना, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा-तत्काल मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी सामने नहीं रखा गया था कि पूर्वाग्रह की उपस्थिति के लिए एक उचित आधार हो सकता है या "पूर्वाग्रह का एक वास्तविक खतरा" हो सकता है।[पैरा 16 और 20]

विलम्ब/विलंबः

आयोजित किया गयाः"निष्पक्ष सुनवाई", भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण एक अधिकार है और इसमें "जांच, जांच, परीक्षण, अपील, संशोधन और परीक्षण" सहित मुकदमे के सभी चरण शामिल हैं।[पैरा 28]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2020) 10 एस. सी. सी. 120:[2020] 9

एस. सी. आर. 245-अनुसरण किया गया।ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ (1969) 2 एस. सी. सी. 262:[1970] 1 एससीआर 457; एन. के. बाजपेयी बनाम भारत संघ (2012) 4 एससीसी 653:[2012] 2 एससीआर 433;

प्रमोद कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2013) 6 एस. सी. सी. 588:[2013] 8 एससीआर 323; राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार)

बनाम सुनील (2001) 1 एस. सी. सी. 652:[2000] 5 पूरक।एस. सी. आर. 144; कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 674:

97

सत्यन बनाम केरल राज्य

[2015] 6 एससीआर 175; दिलावर बनाम हरियाणा राज्य (2018) 16 एससीसी 521:[2018] 5 एस. सी. आर. 655-निर्भर।

ताहिर बनाम राज्य (दिल्ली) (1996) 3 एससीसी 338:[1996] 3 एस. सी. आर. 757; कर्मजीति

सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (2003) 5 एससीसी 291:[2003] 3 एस. सी. आर. 25; मो.नौशाद बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 784;

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1992) 1 एससीसी 225:[1991] 3 पूरक।एस. सी. आर. 325-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 2363।

2008 के सी. आर. एल. ए. संख्या 2822 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 05.09.2019 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

जेम्स पी. थॉमस, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, सुभाष चंद्रन के. आर., श्रीमती एशली हर्षद, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

संजय करोल जे।

1. यह अपील अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् सत्यन के निर्देश पर 2008 की आपराधिक अपील संख्या 2822 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 सितंबर, 2019 के आदेश और फैसले के खिलाफ है, जिसमें S.C.No में दोषसिद्धि को रद्द करने का उनका अनुरोध है। आबकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत 2006 की धारा 1140 को अस्वीकार कर दिया

गया था और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक (एड हॉक-11), कोझिकोड द्वारा 3 नवंबर, 2008 के फैसले में वापस किए गए आदेशों का समर्थन किया गया था।

संक्षिप्त तथ्य

2. 1 अक्टूबर 2003 को, अपीलार्थी को अपने ऑटोरिक्शा में जेरी कैन में पांच लीटर अरैक ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था।मामला दर्ज किया गया

1 इसके बाद इसे "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया।

न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कुन्नमंगलम की अदालत के समक्ष नंबर C.P.36/06 को लेते हुए।इसके बाद, मामला प्रतिबद्ध हो गया, और अंततः, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक (एड हॉक-11), कोझिकोड 2 के न्यायालय में चला गया। 3.विचार के लिए 3 मुद्दों को तैयार करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1, जो आबकारी निरीक्षक कुन्नमंगलम रेंज था और उस व्यक्ति की गवाही की जांच की जिसने अपराध का पता लगाया था; पीडब्लू-2, सहायक आबकारी निरीक्षक जो पीडब्लू-1 के साथ था और पीडब्लू-3, जो एक स्वतंत्र गवाह था, लेकिन मुकर गया।

4. अपीलार्थी से अरैक के कब्जे और बरामदगी के पहले मुद्दे पर, और दूसरे, उसके अपराध के संबंध में, अदालत ने पीडब्लू-1 अर्थात् रवींद्रानंदन और पीडब्लू-2, अर्थात् सी. के. मनोहरन की गवाही के आधार पर सकारात्मक निष्कर्ष दिए, यह स्वीकार करते हुए कि ये दोनों गवाह आधिकारिक गवाह थे, और उस पहलू पर इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों को देखते हुए कहा कि उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने या यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जा सकता है कि प्रश्न में लेख, जिन्हें "थोंडी लेख" के रूप में संदर्भित किया गया था, के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

5. सजा सुनाने पर, जो मुद्दा संख्या 3 था, अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जिसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जाना उचित नहीं था और इसलिए अपीलार्थी को एक साल के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और इसके उल्लंघन में, 6 महीने के कठोर कारावास की अतिरिक्त अवधि।

द इम्प्यूज्ड जजमेंट

6. उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थी की ओर से अस्पष्टीकृत देरी का आधार कोई योग्यता नहीं रखता है क्योंकि मजिस्ट्रेट का समर्थन इंगित करता है कि सामग्री पहले दिन पेश की गई थी और इसे अगले कार्य दिवस पर पेश करने का निर्देश दिया गया था।

7. अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का आधार, जो पता चलने की तारीख से लगभग 3 साल है, अदालत द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि अपीलार्थी 3 के अधिवक्ता द्वारा जिस फैसले पर भरोसा किया गया था, उसे बाद के फैसले द्वारा प्रति आदेश घोषित किया गया है।

2 इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" बना।

3 कृष्णन एच. वी.राज्य, [2015 (1) केएचसी 822]; 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन 28741 4 संतोष टी. ए. और एन. आर. बनामकेरल राज्य [2017 (5) केएचसी 107] 99

इसका प्रभाव यह है कि विलंब, वास्तव में, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।

8. मजार में अंतर्वेशन पर, यानी, विस्तार।पी1 में यह देखा गया कि इसे बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसी दिन दर्ज अपराध और घटना की रिपोर्ट में कहा गया है कि एकत्र किया गया नमूना वास्तव में 180 मिलीलीटर का नमूना था न कि 375 मिलीलीटर जैसा कि शुरू में इस तरह की प्रदर्शनी में लिखा गया था।रासायनिक परीक्षकों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नमूना अपनी मुहर के साथ प्राप्त किया गया था और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि नमूना अपीलार्थी से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ से लिया गया था।

9. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विवादित फैसले के अनुसार, दी गई सजा को स्वीकार कर लिया गया था।

10. इसलिए वर्तमान अपील।

विश्लेषण और समन्वय

11. आबकारी अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार है-"8। अरैक के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, पारगमन, कब्जा, भंडारण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध।–

[(1) कोई भी व्यक्ति [अनुमति पारगमन के बिना] किसी भी रूप में अरैक का निर्माण, आयात, स्वामित्व, भंडारण, वितरण, बोतल या बिक्री नहीं करेगा।][(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह दस साल तक की अवधि के कारावास और एक लाख से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।”]12. चुनौती के आधार, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किया गया है कि-स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में, अनुसंधान को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि पता लगाने वाले अधिकारी और अनुसंधान कर्ता दोनों आधिकारिक गवाह थे; नमूने की मात्रा के संबंध में मजार में अंतर्वेशन है जिसे शुरू में 375 एमएल के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन बाद में 180 एमएल में सही किया गया है; निचली अदालत के समक्ष प्रतिबंधित पदार्थ के उत्पादन में अस्पष्ट देरी है;

पीडब्लू-2 (सी. के. मनोहरन) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह जब्ती के बारे में नहीं जानता था और यह भी कि वह इस स्थान पर मौजूद नहीं था; गश्ती दल के सदस्यों को गवाह नहीं बनाया गया था; मजार पर हस्ताक्षर करने वाले स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, आदि।

13. जिस सवाल पर हमें विचार करना चाहिए वह यह है कि क्या केवल आधिकारिक गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि वर्तमान तथ्यों में टिकाऊ है?और, क्या चालान में लगभग 3 साल की देरी को निचली अदालत के फैसले की शुद्धता के साथ-साथ हमारे सामने लगाए गए फैसले को भी भौतिक रूप से प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है?

14. निचली अदालत ने जब इस सवाल का सामना किया कि दोषसिद्धि पूरी तरह से आधिकारिक गवाहों की गवाही पर आधारित है, तो दो फैसलों का उल्लेख किया।

इस न्यायालय ने ताहिर बनाम राज्य **(**दिल्ली**) 5** और कर्मजीति सिंह बनाम राज्य **(**दिल्ली**)** मामले में

प्रशासन) 6 यह देखने के लिए कि केवल पुलिस अधिकारियों की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है।

15. तत्काल विवाद को नियंत्रित करने वाला अधिनियम "[केरल राज्य] में मादक शराब और मादक पदार्थों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और कब्जे से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने" के लिए लागू किया गया था। मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को "मादक पदार्थों से संबंधित कानून में संशोधन करने, मादक पदार्थों और मनोप्रभावी पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करने" के लिए क़ानून की पुस्तकों में लाया गया है। यकीनन, ये दोनों कानून पहचान किए गए मादक पदार्थों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से समान उत्पादों के विनियमन की मांग करते हैं।हम बाद के अधिनियम से संबंधित एक मामले में, मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 7 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया हैः-

“ 10.1.सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत, अनुसंधान पूरी करने के बाद एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष गैर-कानूनी रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक है।इस प्रकार, सी. आर. पी. सी. की योजना के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने, उसे दर्ज करने और फिर इसकी जांच करने के लिए जानकारी प्राप्त करने पर रोक है।इसके विपरीत, धारा 154,156

और 157 एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में संज्ञेय अपराध की जानकारी को कम करने और उसके बाद उसी की जांच करने की अनुमति देती है।

XXX

12. इसलिए**,** सूचना देने वाले की विश्वसनीयता पर संदेह करने और अभियोजन के पूरे मामले पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

5 (1996) 3 एससीसी 338 6 (2003) 5 एससीसी 291 7 (2020) 10 एससीसी 120 101

सत्यन बनाम केरल राज्य [संजय करोल, जे.]

यह आधार कि सूचना देने वाले ने मामले की जांच की है।केवल किसी आशंका या संदेह के आधार पर, अभियोजन पक्ष के पूरे संस्करण को खारिज नहीं किया जा सकता है और जब तक आरोपी पक्षपात और पूर्वाग्रह को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक आरोपी को तुरंत बरी नहीं किया जा सकता है।जैसा कि इस न्यायालय ने राम चंद्र [राजस्थान राज्य बनाम राम चंद्र, (2005) 5 एस. सी. सी. 151:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1010] पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के सवाल को साबित किया जाना चाहिए न कि अनुमान लगाया जाना चाहिए।पक्षपात के सवाल का फैसला तथ्यों के आधार पर करना होगा

प्रत्येक मामला [विपिन कुमार जैन देखें [भारत संघ बनाम विपिन कुमार जैन,

(2005) 9 एससीसी 579]।

XXX

12.2.इसी तरह, भारतीय दण्ड संहिता सी. के तहत अपराधों के संबंध में भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मामले की जांच करने वाले सूचना देने वाले/वादी के खिलाफ कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है।केवल ऐसे मामले में जहां अभियुक्त सूचना देने वाले-सह-अन्वेषक द्वारा पक्षपात और/या अनुचित अनुसंधान को स्थापित करने और साबित करने में सक्षम रहा है और अभियोजन पक्ष का मामला केवल सूचना देने वाले-सह-अन्वेषक के बयान पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों, विशेष रूप से स्वतंत्र गवाहों पर भरोसा नहीं करता है, उस मामले में, जहां वादी ने स्वयं अनुसंधान की थी, मामले के ऐसे पहलू को रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आकलन करते समय निश्चित रूप से उचित महत्व दिया जा सकता है।

XXX

13.2.(II) ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला स्वयं अनुसंधान कर्ता है, उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसंधान पक्षपात या समान कारक के आधार पर दूषित है। पक्षपात या पूर्वाग्रह का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

इसलिए, केवल इसलिए कि सूचना देने वाला अनुसंधान कर्ता है, इसलिए स्वयं अनुसंधान अनुचितता या पूर्वाग्रह के लिए पर्याप्त नहीं होगी और इसलिए एकमात्र आधार पर कि सूचना देने वाला अनुसंधान कर्ता है, आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है।मामले का फैसला मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए।मोहन में इस न्यायालय का एक विपरीत निर्णय

लाल बनाम पंजाब राज्य [मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, (2018) 17 एससीसी

627 :(2019) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 215] और इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला कोई अन्य निर्णय कि सूचना देने वाला अन्वेषक नहीं हो सकता है और ऐसे मामले में 102

अभियुक्त बरी होने का हकदार है, यह अच्छा कानून नहीं है और उन्हें विशेष रूप से खारिज कर दिया जाता है।"

(जोर दिया गया) 16।इसलिए, अब यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध की जानकारी प्राप्त करने वाला या उसकी घटना का पता लगाने वाला व्यक्ति इसकी जांच कर सकता है। पक्षपात या इस तरह के कारक के आधार पर ऐसी अनुसंधान पर सवाल उठाना, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।यह एक सामान्य अयोग्य नियम के लिए उत्तरदायी नहीं है जो खुद को एक समान अनुप्रयोग के लिए उधार देता है।17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह है कि अनुसंधान की निष्पक्षता से समझौता किया गया था क्योंकि अपराध का पता लगाने वाला व्यक्ति और अनुसंधान करने वाला व्यक्ति एक ही थे।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आधिकारिक गवाह अविश्वसनीय होने के कारण, वर्तमान मामले में स्वतंत्र गवाह एक अनिवार्य आवश्यकता है।

18. जे**.** के**.** एस**.** हेगड़े ने ऐतिहासिक ए**.** के**.** क्राईपक बनाम भारत संघ **8** में अदालत के लिए लिखते हुए कहाः**-**

"किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को साबित करना कठिन पंथ है।इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार है कि वह संभवतः पक्षपाती था।हम विद्वान महान्यायवादी से सहमत हैं कि केवल पक्षपात का संदेह पर्याप्त नहीं है।पक्षपात की एक उचित संभावना होनी चाहिए।पक्षपात के सवाल को तय करते समय हमें मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा।"

19. पक्षपात की अवधारणा पर दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया है।

एन. के. बाजपेयी बनाम भारत संघ 9 में यह न्यायालय इस प्रकार हैः-

“48 पक्षपात को उपस्थित दिखाया जाना चाहिए।पक्षपात की संभावना, पूर्वाग्रह की संभावना और उचित संदेह कि पूर्वाग्रह ने निर्णय को प्रभावित किया हो सकता है, अलग-अलग अर्थों के शब्द हैं।वे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं अर्थात पूर्वाग्रह का संदेह और पूर्वाग्रह की संभावना।पक्षपात की संभावना पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह की संभावना होगी जो मौजूद होने के लिए दिखाया जा सकता है, जबकि पूर्वाग्रह का संदेह पूर्वाग्रह की संभावना या उचित संदेह होगा।पूर्व ने कार्रवाई की निंदा की, जबकि बाद वाला शायद ही आगे की कार्रवाई की जांच के लिए आधार हो सकता है

8 (1969) 2 एससीसी 262 9 (2012) 4 एससीसी 653 103

सत्यन बनाम केरल राज्य [संजय करोल, जे.]

किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।सही परीक्षण यह जांचने के लिए होगा कि क्या पक्षपात का कोई वास्तविक खतरा प्रतीत होता है या क्या किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में इस तरह के पूर्वाग्रह की केवल संभावना है या इसकी अधिकता भी है।यदि यह पूर्व श्रेणी में आता है, तो निर्णय न्यायिक दंड को आकर्षित करेगा, लेकिन यदि यह उत्तरार्द्ध में आता है, तो यह शायद ही निर्णय को प्रभावित करेगा, बहुत कम प्रतिकूल रूप से।

20. वर्तमान उदाहरण में, यह दिखाने के लिए कुछ भी सामने नहीं रखा गया है कि पक्षपात की उपस्थिति के लिए एक उचित आधार हो सकता है या "पक्षपात का एक वास्तविक खतरा" हो सकता है और इसलिए अनुसंधान की गंजी याचिका निष्पक्ष, विवेकपूर्ण नहीं है जो अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करती है।

21. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि केवल इसलिए कि जिस व्यक्ति ने अपराध का पता लगाया है, वही है जिसने रिपोर्ट का नेतृत्व किया या अनुसंधान की है, इस तरह की अनुसंधान को कानूनी रूप से खराब नहीं कहा जा सकता है।इसलिए उस विशेष प्रस्तुति को अनिवार्य रूप से नकार दिया जाना चाहिए।हम यह भी देखते हैं कि निचली अदालत के फैसले में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अनुसंधान करने वाला व्यक्ति पीडब्लू-4 था और न तो पीडब्लू-1 और न ही पीडब्लू-2, जिसकी गवाही पर अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला देने के लिए भरोसा किया है।उस आधार पर भी, अपीलार्थी की प्रस्तुति को नकार दिया जाना चाहिए।

22. केवल पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर आधारित होने के कारण दोषसिद्धि अब एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर जूरी बाहर है।दूसरे शब्दों में, कानून अच्छी तरह से तय है कि यदि ऐसे पुलिस अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और यह उसी आधार पर खड़ा होगा।यह न्यायालय प्रमोद कुमार बनाम.

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) 10

13. यह न्यायालय, यू. पी. बनाम राज्य का उल्लेख करने के बाद।अनिल सिंह [1988 एस. सी. सी. 686:1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 48], राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) बनाम सुनील [(2001) 1 एस. सी. सी. 652:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 248 और रामजी राय बनाम बिहार राज्य [(2006) 13 एस. सी. सी. 229: (2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 626] ने हाल ही में कश्मीरी लाल बनाम हरियाणा राज्य [(2013) 6 एस. सी. सी. 595 में कहा हैः2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3102] कि कानून का कोई पूर्ण आदेश नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है और उनकी गवाही को हमेशा माना जाना चाहिए।

शक होता है।आम तौर पर, बड़े पैमाने पर जनता गवाह बनने के लिए आगे आने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाती है।यदि पुलिस अधिकारी की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो अदालत उसी की अवहेलना कर सकती है।यदि साक्ष्य की जांच के दौरान, अदालत पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को अविश्वसनीय और अविश्वसनीय मानती है, तो अदालत उस पर अविश्वास कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा केवल इस धारणा पर नहीं करना चाहिए कि पुलिस विभाग के एक गवाह को अविश्वास के साथ देखा जाना चाहिए।यह इस सिद्धांत पर भी आधारित है कि साक्ष्य की गुणवत्ता साक्ष्य की मात्रा पर भारी होती है।

23. राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली सरकार**)** बनाम सुनील **11** का उल्लेख करते हुए**,** कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **12** में इस अदालत ने निर्णय दिया किः**–**

“23. ... इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, जब अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन पर अदालत यह मानती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामला विश्वसनीय है। जब आधिकारिक गवाहों का साक्ष्य भरोसेमंद और विश्वसनीय होता है, तो उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को रोकने का कोई कारण नहीं होता है।”

24. हमें ध्यान देना चाहिए कि पूर्व में यह देखा गया थाः-

“21... किसी भी तरह से, अदालत इस धारणा के साथ शुरुआत नहीं कर सकती कि पुलिस रिकॉर्ड अविश्वसनीय हैं।कानून के प्रस्ताव के रूप में अनुमान इसके विपरीत होना चाहिए।यह कि पुलिस के आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते रहे हैं, यह अनुमान लगाने का एक बुद्धिमान सिद्धांत है और विधायिका द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यदि अदालत के पास पुलिस के ऐसे रिकॉर्ड की सच्चाई पर संदेह करने का कोई अच्छा कारण है तो अदालत निश्चित रूप से इस तथ्य को ध्यान में रख सकती है कि वसूली के समय कोई अन्य स्वतंत्र व्यक्ति मौजूद नहीं

था।लेकिन यह कानूनी रूप से अनुमोदित प्रक्रिया नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई को शुरू में अविश्वसनीय माना जाए, और न ही इस तरह की कार्रवाई को केवल इस कारण से रद्द किया जाए कि पुलिस ने इस तरह के कार्यों के साथ समकालीन बनाए गए दस्तावेजों में स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर एकत्र नहीं किए।"

25. हाल ही में, यह अदालत मोहम्मद में।नौशाद बनाम.राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली **13)** ने पाया था कि पुलिस गवाहों की गवाही**,** साथ ही साथ

11 (2001) 1 एससीसी 652 12 2015) 6 एससीसी 674

13 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 784 105

सत्यन बनाम केरल राज्य [संजय करोल, जे.]

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ज्ञापन दूषित नहीं होते हैं।

26. कानून के उपरोक्त प्रस्तावों से, जैसा कि पुनः प्रस्तुत और संदर्भित किया गया है, यह स्पष्ट है कि आधिकारिक गवाहों की गवाही को केवल इसलिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी।शुद्धता या प्रामाणिकता पर केवल "किसी भी अच्छे कारण" पर संदेह किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले से गायब है। अभि.सा. -1 और अभि.सा. -2 की गवाही की सत्यता को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई कारण सामने नहीं आ रहा है, जिसे नीचे की अदालतों ने पूरी तरह से प्रेरक पाया है।इसलिए, निचली अदालत द्वारा पुलिस गवाहों की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के माध्यम से स्वीकार किए जाने को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।27. अपीलार्थी की ओर से आगे प्रस्तुत किया गया था, दो पहलुओं में "देरी"; एक, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा निषिद्ध पदार्थ और दो, अनुसंधान पूरी होने पर, यानी 1 अक्टूबर, 2003 को अपीलार्थी की गिरफ्तारी से लेकर 17 अप्रैल, 2006 को अनुसंधान पूरी होने तक।पहला, एक सुपरफि सीएल ग्राउंड है, जिसे रिकॉर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है।निचली अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के अगले दिन, 2 अक्टूबर, 2003 को छुट्टी थी और इसलिए जब्त किया गया मादक पदार्थ, अगले कार्य दिवस, यानी 3 अक्टूबर, 2003 को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए निर्देशों पर था।यह अनियंत्रित स्थिति होने के कारण, जब्त किए गए अरैक के उत्पादन में देरी नहीं कहा जा सकता है।28. हालाँकि, देरी का दूसरा पहलू महत्वपूर्ण है।यह बार-बार देखा गया है कि "निष्पक्ष सुनवाई", भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के कारण एक अधिकार है और इसमें "जांच, जांच, परीक्षण, अपील, संशोधन और परीक्षण" सहित मुकदमे के सभी चरण शामिल हैं। 14 दिलावर बनाम हरियाणा राज्य 15 में इस अदालत के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए, 2 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः–

“7. संविधान के अधिदेश को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय के सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि त्वरित सुनवाई के लिए अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित अधिकार है जिसमें त्वरित अनुसंधान , अनुसंधान , अपील, संशोधन और पुनः सुनवाई शामिल है।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुचित देरी हुई है, प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए।

14 ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1992) 1 एस. सी. सी. 225 (5-न्यायाधीशों की पीठ) 15 (2018) 16 एस. सी. सी. 521 106

अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, अदालत और जांच एजेंसी का कार्यभार, प्रणालीगत देरी। अत्यधिक देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है, विशेष रूप से जब आरोपी हिरासत में हो ताकि अभियोजन उत्पीड़न न बन जाए।न्यायालय को कई प्रासंगिक कारकों को संतुलित और तौलना पड़ता है।हालाँकि किसी भी अनिवार्य बाहरी समय-सीमा को निर्धारित करना न तो उचित है और न ही व्यवहार्य है और न्यायालय केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देरी के प्रभाव की जांच कर सकता है। यह दायित्व इस न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ [मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248], हुसैनारा खातून (आई) बनाम बिहार राज्य [हुसैनारा खातून (आई) बनाम बिहार राज्य, (1980) 1 एस. सी. सी. 81:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 23], अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक, (1992) 1 एस. सी. सी. 225:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 93 और पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 578:2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 830]”

(जोर दिया गया) 29।अभिलेख का अवलोकन ऊपर बताए गए किसी भी कारक को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो तत्काल अनुसंधान में देरी को उचित ठहराने में सहायता करता है, जिससे लगभग 3 वर्षों के बाद वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।निषिद्ध पदार्थ तुरंत बरामद किया गया था, केवल कुछ गवाहों की जांच की गई थी, और भले ही कर्मियों के स्थानांतरण के कारण प्रणालीगत देरी पर विचार किया जाता है, लेकिन छुट्टी की तारीख और वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बीच का दिन उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

30. हालांकि, केवल यह आग्रह करना कि देरी से अनुसंधान पर संदेह पैदा होता है, बिना किसी सबूत के इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।अत्यधिक देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया गया है, लेकिन विशेष रूप से उन मामलों में जहां आरोपी हिरासत में है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी को 21 अक्टूबर 2003 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।इसलिए, पूर्वाग्रह की धारणा तत्काल तथ्यों में लागू नहीं होगी।

31. आग्रह किए गए अन्य आधार जैसे कि मजार में अंतर्वेशन, उपस्थित तथ्यों में हैं, न कि इस तरह के महत्वपूर्ण तर्क के ताकि अभियोजन के पूरे मामले को दूषित किया जा सके।इसके अलावा, दोनों विद्वान न्यायालयों द्वारा एक साथ यह पाया गया है कि इस तरह के अंतर्वेशन यानी नमूने की मात्रा को शुरू में 375 एमएल के रूप में नोट किया गया था और बाद में इसे 180 एमएल, 107 तक सही किया गया था।

सत्यन बनाम केरल राज्य [संजय करोल, जे.]

उत्तरार्द्ध वास्तव में सही मात्रा होने के साथ, रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला तक पहुंचने वाली सीलबंद स्थिति में, बिना नुकसान वाले नमूने द्वारा पुष्टि की जाती है और साथ ही उससे उत्पन्न रिपोर्ट भी जो नमूने को उत्तरार्द्ध, सही मात्रा के अनुरूप होने के लिए नोट करती है।

32. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि आक्षेपित निर्णय की शुद्धता को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी के आधार विफल हैं।33. हालाँकि, हाथ में मौजूद तथ्यों पर विचार करते हुए, कि विचाराधीन अपराध 1 अक्टूबर 2003 का है; विलंबित अनुसंधान के बाद 17 अप्रैल 2006 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उन्हें 3 नवंबर 2008 को दोषी ठहराया गया था, और यह कि अपराध किए हुए 20 साल से अधिक समय बीत चुके हैं, इस अदालत ने अपीलकर्ता की सजा को तीन महीने की अवधि, साधारण कारावास की सजा देने के लिए संशोधित करने का निर्णय लिया।निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने पर विश्वास किया जाता है।

34. आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा करने की अवधि, जैसा कि दिया गया है, एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई गई है।निचली अदालत के फैसले में उस हद तक भी बदलाव किया जाएगा।35. ऊपर बताए गए शब्दों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

36. 14 जून 2022 के आदेश के अनुसार समर्पण से दी गई छूट खाली है।अपीलार्थी को संबंधित अदालत के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

37. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।38. लागत आसान है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान